आखिरी जांच: 26 सितंबर 2026

महाराष्ट्र में जाति प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं

जाति प्रमाणपत्र उप विभागीय अधिकारी या उप कलेक्टर देते हैं। आप आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं और 40 रुपये फीस भरते हैं।

आवेदन: ऑनलाइन
फीस: 40 रुपये
समय: पोर्टल सेवा पेज पर 45 दिन, आधिकारिक चेकलिस्ट PDF में 21 दिन
आधिकारिक पोर्टल: राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन

आधिकारिक स्रोतों में फ़र्क है. आपले सरकार के सेवा पेज और अधिसूचित सेवाओं की सूची में इस प्रमाणपत्र के लिए 45 दिन बताए गए हैं। फीस, प्रक्रिया और चेकलिस्ट PDF में 21 दिन बताए गए हैं। हम तय नहीं कर सके कि कौन सा अभी लागू है, इसलिए दोनों दिखा रहे हैं। आवेदन में देर हो तो तहसील कार्यालय में पूछें।

सीधा जवाब

आपले सरकार पोर्टल पर पंजीकरण करें, राजस्व विभाग, फिर राजस्व सेवाएं और सेवा जाति प्रमाणपत्र चुनें। जाति प्रमाणपत्र का प्रकार चुनें, फॉर्म भरें, अपनी जाति का प्रमाण चुनकर अपलोड करें, 40 रुपये फीस भरें और जमा करें। पोर्टल के सेवा पेज पर 45 दिन और आधिकारिक चेकलिस्ट PDF में 21 दिन बताए गए हैं, इसलिए हम एक निश्चित समय नहीं बता सकते। उप विभागीय अधिकारी की मंज़ूरी के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र पोर्टल से डाउनलोड करें।

शुरू करने से पहले क्या चाहिए

- OTP के लिए मोबाइल नंबर
- पंजीकरण के समय अपलोड करने के लिए आपकी फोटो, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण
- आपकी जाति दिखाने वाले कागज़ात, जैसे पिता का जाति प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (नीचे की सूची देखें)
- सेवा शुल्क के 40 रुपये, ऑनलाइन भरने के लिए

चरण दर चरण

1. **आपले सरकार पोर्टल खोलें और पंजीकरण करें.** aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर जाएं और पंजीकरण चुनें। खाता पहले से हो तो लॉगिन करें।
2. **यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं.** एक तरीका चुनें: आधार नंबर (UID) से सत्यापन करें, या मोबाइल पर आए OTP से अपनी प्रोफ़ाइल बनाएं।
3. **अपनी जानकारी भरें और पंजीकरण पूरा करें.** अपनी जानकारी और पता भरें, OTP से मोबाइल नंबर और यूज़र नाम सत्यापित करें, और अपनी फोटो, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण अपलोड करें। फिर पंजीकरण पूरा करें।
4. **राजस्व विभाग चुनें.** पंजीकरण के बाद बाएं पैनल में राजस्व विभाग चुनें।
5. **राजस्व सेवाएं चुनें.** उप विभाग की सूची में राजस्व सेवाएं चुनें और आगे बढ़ें दबाएं।
6. **सेवा चुनें.** सेवा जाति प्रमाणपत्र चुनें।
7. **कागज़ातों की सूची पढ़ें.** कागज़ातों की सूची पढ़ें, फिर आगे बढ़ें दबाएं।
8. **आवेदन फॉर्म भरें.** जाति प्रमाणपत्र का प्रकार चुनें। फिर आवेदक की जानकारी, आवेदक का पता, लाभार्थी की जानकारी, लाभार्थी के पिता की जानकारी, लाभार्थी की जाति या श्रेणी की जानकारी और अन्य जानकारी भरें। जो प्रमाण संलग्न करेंगे उन्हें चुनें और कोई अतिरिक्त जानकारी जोड़ें।
9. **घोषणा स्वीकारें और जमा करें.** घोषणा स्वीकार करें और आवेदन जमा करें।
10. **कागज़ात अपलोड करें.** पहचान और पते के कागज़ात और आपके चुने हुए जाति के प्रमाण अपलोड करें।
11. **फीस भरें और पूरा करें.** 40 रुपये सेवा शुल्क ऑनलाइन भरें और आवेदन पूरा करें।

कागज़ात

पहचान का प्रमाण (कोई एक)

- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- RSBY कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस

- आवेदक की फोटो
- सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था का पहचान पत्र

पते का प्रमाण (कोई एक)

- पासपोर्ट
- पानी का बिल
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- टेलीफोन बिल
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली का बिल
- संपत्ति कर की रसीद
- 7/12 और 8A का उतारा, या किराए की रसीद

आपकी जाति का प्रमाण (कोई एक, आधिकारिक सूची में 60 से ज़्यादा प्रकार हैं)

- पिता या किसी रिश्तेदार का जाति प्रमाणपत्र
- जाति वैधता प्रमाणपत्र, जिसमें पिता या रिश्तेदार का छानबीन समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र भी शामिल है
- आवेदक, पिता या दादा का स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- आवेदक, पिता या दादा के प्राथमिक स्कूल प्रवेश रजिस्टर का उतारा
- सरकारी सेवा अभिलेख (पुस्तिका) का उतारा जिसमें पिता या रिश्तेदार की जाति लिखी हो
- आवेदक, पिता या रिश्तेदारों के जन्म रजिस्टर का उतारा
- राजस्व अभिलेख या ग्राम पंचायत रिकॉर्ड की प्रति, 7/12 या 8A का उतारा, अधिकार अभिलेख
- तलाठी, सरपंच या पुलिस पाटील की जांच रिपोर्ट, या मंडल जांच रिपोर्ट
- निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र (प्रपत्र 2 और 3), और अनुसूचित जनजाति की जातियों के लिए प्रपत्र A-1

ये आधिकारिक सूची के उदाहरण हैं। सूची में इससे कहीं ज़्यादा प्रकार के प्रमाण हैं। वे चुनें जो आपकी अपनी जाति दिखाते हैं।

आवेदन के बाद

- आवेदन पहले नायब तहसीलदार के पास जाता है। तहसील क्लर्क आपका फॉर्म, कागज़ात और भुगतान ऑनलाइन जांचता है।
- कुछ ठीक करना हो तो टिप्पणी के साथ सुधार का अनुरोध मिलता है। टिप्पणी के अनुसार सुधारकर आवेदन दोबारा जमा करें।
- सब ठीक हो तो आवेदन आगे तहसीलदार और फिर उप विभागीय अधिकारी के पास जाता है, और दोनों उसी तरह ऑनलाइन जांच करते हैं।
- उप विभागीय अधिकारी की मंज़ूरी के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र जारी होता है। उसे पोर्टल से डाउनलोड करें।
- सेवा में देरी हो या इनकार हो तो अपील कर सकते हैं। पहली अपील अपर कलेक्टर को और दूसरी कलेक्टर को जाती है।
- अपने आवेदन को देखने के लिए आपले सरकार पोर्टल पर Track your Application चुनें और आवेदन करते समय मिला Application ID डालें।
- प्रमाणपत्र असली है या नहीं जांचने के लिए पोर्टल पर Verify Your Authenticated Certificate चुनें और उस पर छपा 18 अंकों का बारकोड मान डालें।
- लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 के तहत सेवाओं के सवालों के लिए आप चौबीस घंटे चलने वाले टोल फ्री नागरिक कॉल सेंटर 1800 120 8040 पर फोन कर सकते हैं।

आधिकारिक पोर्टल: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en
आधिकारिक स्रोत: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/pdf/Fees,%20Procedure,%20Checklist_Caste%20Certificate.pdf
LABHLO: https://labhlo.in/hi/guides/maharashtra-caste-certificate/

LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी मंच है। यह मार्गदर्शिका आधिकारिक स्रोत का सारांश है, सरकारी दस्तावेज़ नहीं। नियम, फीस और वेबसाइट बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल देख लें।